

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक

जगदलपुर वृत्त जगदलपुर बस्तर 494001 (छत्तीसगढ़)

फोन (कार्या) : 07782-222006 (निवास) : 227634 (फैक्स) : 07782-222120 E-mail-ccfjagdalpur@rediffmail.com

क्रं./व.त.अ./ 826

जगदलपुर, दिनांक 14/03/2024

प्रति,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक,

(भू-प्रबंध/व.सं.अ.)

नवा रायपुर, अटल नगर, छत्तीसगढ़

विषय :- Diversion of forest land for non- forest purpose under Forest Condervation Act, 1980 Proposed for " LIC Building Dantewada" area – 0.262 ha. Compartment No. P1373.

पंजीयन क्रमांक FP/CG/Other/36479/2018

संदर्भ :- 1. आपका पत्र क्रमांक/भू-प्रबंध/विविध/115-759 /1436 दिनांक 29/06/2022

2. वनमण्डलाधिकारी, दंतेवाड़ा वनमण्डल दंतेवाड़ा का पत्र क्रमांक/मा.चि./1618 दिनांक 06/03/2024

—::000::—

विषयांतर्गत प्रतिवेदन है कि, LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA, BRANCH OFFICE DANTEWADA निर्माण हेतु 0.262 ha. Compartment No. P1373. वनभूमि को गैर वानिकी उपयोग हेतु वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत व्यपवर्तन प्रस्ताव में त्रुटियों का सुधार उपरांत पुनरीक्षित प्रस्ताव वनमण्डलाधिकारी, दंतेवाड़ा वनमण्डल ने संदर्भित पत्र द्वारा इस कार्यालय में प्रेषित किया गया है।

वनमण्डलाधिकारी, दंतेवाड़ा वनमण्डल से प्राप्त विषयांकित पुनरीक्षित व्यपवर्तन प्रस्ताव अनुशंसा सहित अग्रिम कार्यवाही हेतु तीन प्रतियों में संलग्न सम्प्रेषित है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

प्रस्ताव 03 प्रतियों में मूलतः

मुख्य वन संरक्षक,

जगदलपुर वृत्त जगदलपुर

जगदलपुर, दिनांक 14/03/2024

पृ.क्रं./व.त.अ./ 827

प्रतिलिपि :-

वनमण्डलाधिकारी, दंतेवाड़ा वनमण्डल दंतेवाड़ा की ओर सूचनार्थ अग्रेषित कर लेख है कि संबंधित शाखा प्रभारी को अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध/व.सं.अ.) अटल नगर, नवा रायपुर कार्यालय में परीक्षण कराकर प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित करें।

मुख्य वन संरक्षक,

जगदलपुर वृत्त जगदलपुर

जगदलपुर, दिनांक 14/03/2024

पृ.क्रं./व.त.अ./ 828

प्रतिलिपि :-

महाप्रबंधक, LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA, BRANCH OFFICE DANTEWADA की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

मुख्य वन संरक्षक,

जगदलपुर वृत्त जगदलपुर

कार्यालय वनमण्डलाधिकारी दन्तेवाड़ा वनमण्डल, दन्तेवाड़ा (छ.ग.)

1031
10/03/24

कार्यालय - दूरभाष (07856) 252228, फैक्स - 252305 निवास - (07856) 252439 E-mail:-dfodnt@rediffmail.com

क्रमांक/ मा.चि./1618

दन्तेवाड़ा, दिनांक 06/03/2024

प्रति,

✓ मुख्य वन संरक्षक,
जगदलपुर वृत्त, जगदलपुर

- विषय :-** Diversion of forest land for non-forest purpose under forest conservation Act, 1980
Proposed for " LIC Building Dantewada" area - 0.262 Ha. Compartment No. P 1373.
पंजीयन क्रमांक - FP/CG/Other/36479/2018
- संदर्भ :-** 1. आपका पत्र क्रमांक/ व.त.अ./4002, दिनांक 14.07.2022
2. शाखा प्रबंधक, भारतीय जीवन बीमा निगम, दन्तेवाड़ा का पत्र दिनांक 06.03.2024

—0—

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र - 1 के माध्यम से विषयांकित प्रकरण में 06 बिन्दुओं की अतिरिक्त जानकारी चाही गई थी। आवेदक संस्थान द्वारा संदर्भित पत्र - 2 के तहत 06 बिन्दुओं की अतिरिक्त जानकारी बिन्दुवार तैयार कर प्रस्तुत किया गया है।

अतः चाही गई जानकारी आपके अवलोकनार्थ सम्प्रेषित है:-

क्रमांक	कंडिका	विवरण
1	फार्म ए पार्ट -1 के बिंदु क्रमांक C(maps of forest land proposed to be diverted) अपलोड के.एम.एल. फाईल में खसरा क्रमांक - 291 उल्लेख कर अपलोड किया गया है। जो वनमण्डलाधिकारी के निरीक्षण अनुसार नहीं है। सुधार आवश्यक है। C(ii) b(1): Upload kml as attribute में विवरण, जैसे - RF/PF along with compartment no. and area in ha. revenue forest land along with khasra no. and area in ha. आदि जानकारी के साथ अपलोड करें।	फार्म ए पार्ट -1 के बिंदु क्रमांक C(maps of forest land proposed to be diverted) अपलोड के.एम.एल. फाईल में खसरा क्रमांक - 291 उल्लेख कर अपलोड किया गया था। जिसे डी.जी.पी.एस. रिपोर्ट में सुधार कर प्रस्तावित वन भूमि कक्ष क्रमांक पी 1373 का के.एम.एल. अपलोड किया गया है।
2	वनमण्डलाधिकारी के निरीक्षण प्रतिवेदन अनुसार अपलोड के.एम.एल. फाईल, टोपोशीट, Geo-reference map एवं फार्म ए पार्ट-1 में समस्त पी.डी.एफ. फाईल अपडेट सुधार अनुसार अपलोड करें।	के.एम.एल. फाईल, टोपोशीट, Geo-reference map एवं फार्म ए पार्ट-1 में समस्त पी.डी.एफ. फाईल अपडेट/ सुधार अनुसार अपलोड किया गया है।
3	Form A part-1 में column no. K status of settlement of rights under the forest rights Acts 2006 on the forest land proposed "(i) Whether the process for settlement of rights under the forest rights acts 2006 on the forest land proposed to be diverted has been completed? :	वन अधिकार पत्र संबंधी कलेक्टर, जिला दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र उक्त कॉलम पर अपलोड किया गया है।

मु.व.सं.
जगदलपुर वृत्त
पत्र क्रमांक 13

	no" तत्संबंध में यदि वन अधिकार पत्र प्राप्त होने पर उक्त कॉलम पर अपलोड करें।	
4	क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु भारत सरकार के नवीन मार्गदर्शी हैण्डबुक के पृष्ठ क्रमांक - 48 पैरा 26(i) के अनुसार 10 वर्षीय रखरखाव योजना तैयार कर संलग्न नहीं किया गया है एवं उनके द्वारा कंडिका क्रमांक - 16 एवं 17 में क्षतिपूर्ति योजना आवश्यक नहीं है लेख किया गया है। अतः 10 वर्षीय सिंचित क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण योजना तैयार कर प्रस्ताव में संलग्न करें।	भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली के पत्र क्रमांक/FC-11/50/2020-FC Date 21.08.2023 के द्वारा जारी दिशा निर्देश अनुसार प्रत्यावर्तित क्षेत्र 1.00 हैं. से कम होने के कारण क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण की आवश्यकता नहीं है।
5	वनमण्डलाधिकारी द्वारा सत्यापित (वनमण्डलाधिकारी के निरीक्षण प्रतिवेदन अनुसार) डी.जी.पी.एस. रिपोर्ट अपलोड करें एवं संलग्न सी.डी. में सही डाटा सुधार करें। (KML, Shp. Toposheet, Geo-Referance Map) आदि।	डी.जी.पी.एस. रिपोर्ट एवं सी.डी. में सही डाटा सुधार किया गया है।
6	चूंकि यह एक Non Specific Project है अतः कलेक्टर का प्रमाण पत्र भी आवश्यक है कि प्रस्तावित कार्य हेतु कोई गैर वनभूमि उपलब्ध नहीं है।	गैर वनभूमि उपलब्ध नहीं होने संबंधी कलेक्टर, जिला दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा द्वारा जारी अनुपलब्धता प्रमाण पत्र संलग्न है।

अतः उपरोक्त त्रुटियों को सुधार कर वन संरक्षण अधिनियम 1980 अन्तर्गत व्यपवर्तन प्रस्ताव (01 से 44 कंडिका)

पुनः तैयार कर आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न संप्रेषित है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार (03 प्रतियों में)

पृ. क्रमांक/मा.चि./1619

प्रतिलिपि :- शाखा प्रबंधक, भारतीय जीवन बीमा निगम, दन्तेवाड़ा की ओर सूचनार्थ।

वनमण्डलाधिकारी
दन्तेवाड़ा वनमण्डल दन्तेवाड़ा
दन्तेवाड़ा, दिनांक 06/03/2024

वनमण्डलाधिकारी
दन्तेवाड़ा वनमण्डल दन्तेवाड़ा



भारतीय जीवन बीमा निगम
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA

शाखा कार्यालय, चौहान बिल्डिंग, मैन रोड, दन्तेवाड़ा (छग) - 494449

Branch Office, Chauhan Building, Main Road, Dantewada (cg) - 494449

प्रति,

दिनांक - 06.03.2024

वनमंडलाधिकारी

वनमंडल कार्यालय दन्तेवाड़ा

दन्तेवाड़ा (छ.ग.)

विषय:-दन्तेवाड़ा के आबंटित भूमि में LIC कार्यालय में निर्माण कार्य बाबत।

सन्दर्भ: संदर्भ पत्र 5252/19.07.2022 के माध्यम से 6 बिन्दुओं की जानकारी बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भ पत्र 5252/19.07.2022 के माध्यम से 6 बिन्दुओं की जानकारी चाही गई थी। जिसके अनुसार डी.जी.पी.एस. सर्वे रिपोर्ट में सुधार कर विधित जानकारी ON LINE अपलोड कर सुधार किया गया है, जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

क्रमांक	कंडिका	विवरण
1.	फॉर्म ए पार्ट-1 के बिंदु क्रमांक C(maps of forest land proposed to be diverted) अपलोड के.एम.एल. फाइल में खसरा क्र.-291 उल्लेख कर अपलोड किया गया है। जो वनमंडलाधिकारी के निरीक्षण प्रतिवेदन अनुसार नहीं है। सुधार अवश्यक है। C(ii)b(1): Upload kml ds attribute में विवरण; जैसे RF/PF along with Compartment no. and area in ha/ revenue forest land along with khasra no. and area in ha. आदि जानकारी के साथ अपलोड करें।	फॉर्म ए पार्ट-1 के बिंदु क्रमांक C(maps of forest land proposed to be diverted) अपलोड के.एम.एल. फाइल में खसरा क्र.-291 उल्लेख कर अपलोड किया गया है। जो वनमंडलाधिकारी के निरीक्षण प्रतिवेदन अनुसार नहीं है। सुधार अवश्यक है। C(ii)b(1): Upload kml ds attribute में विवरण; जैसे RF/PF along with Compartment no. and area in ha/revenue forest land along with khasra no. and area in ha. सुधार कर अपलोड किया गया है।
2.	वनमंडलाधिकारी के निरीक्षण प्रतिवेदन अनुसार अपलोड के.एम.एल. फाइल, टोपोशीट, Geo-reference map एवं फॉर्म ए पार्ट-1 में समस्त पी.डी.एफ. फाइल अपडेट सुधार अनुसार अपलोड करें।	वनमंडलाधिकारी के निरीक्षण प्रतिवेदन अनुसार अपलोड के.एम.एल. फाइल, टोपोशीट, Geo-reference map एवं फॉर्म ए पार्ट-1 में समस्त पी.डी.एफ. फाइल अपडेट सुधार अनुसार अपलोड किया गया है।
3	Form A Part-1esa coloum No. K status of	Form A Part-1esa coloum No. K status of

D.F.O.
Dantewada Dn.
6-3-2024

	settlement of rights under the Forest rights Acts 2006 on the forest land proposed "(i) Whether the process for settlement of rights under the forest rights Acts 2006 on the forest land proposed to be diverted has been completed ? : No" तत्संबंध में यदि वन अधिकार पत्र प्राप्त होने पर उक्त कॉलम पर अपलोड करें।	settlement of rights under the Forest rights Acts 2006 on the forest land proposed "(i) Whether the process for settlement of rights under the forest rights Acts 2006 on the forest land proposed to be diverted has been completed ? : No" तत्संबंध वन अधिकार पत्र कर उक्त कॉलम में अपलोड किया गया है।
4	क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु भारत सरकार के नवीन मार्गदर्शी हैण्डबुक के पृष्ठ क्रमांक-48 पैरा 26(I) के अनुसार 10 वर्षीय रखरखाव योजना तैयार कर सलग नहीं किया गया है एवं उनके द्वारा कंडका क्रमांक-16 एवं 17 में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण योजना आवश्यक नहीं है लेख किया गया है। अतः 10 वर्षीय सिंधित क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण योजना तैयार कर प्रस्ताव में सलग करें।	भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली के पत्र क्रमांक/FC-11/50/2020-FC Date-21.08.2023 के द्वारा जारी दिशा निर्देश अनुसार प्रत्यावर्तित क्षेत्र 1.00 हैं. से कम होने के कारण क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण की आवश्यकता नहीं है।
5	वन मंडलाधिकारी द्वारा सत्यापित (वन मंडलाधिकारी के निरीक्षण प्रतिवेदन अनुसार)डी.जी.पी.एस. रिपोर्ट अपलोड करें एवं सलग सी.डी. में सही डाटा सुधार करें। (Kml,shp.Toposheet,Geo-Referance Map) आदि।	वन मंडलाधिकारी द्वारा सत्यापित (वन मंडलाधिकारी के निरीक्षण प्रतिवेदन अनुसार)डी.जी.पी.एस. रिपोर्ट अपलोड कर सी.डी. में सुधार किया गया है।
6	चूकी यह एक Non specific project है अतः कलेक्टर का प्रमाण पत्र भी आवश्यक है कि प्रस्तावित कार्य हेतु कोई गैर वन भूमि उपलब्ध नहीं है।	चूकी यह एक Non specific project है अतः कलेक्टर का प्रमाण पत्र भी आवश्यक है कि प्रस्तावित कार्य हेतु कोई गैर वन भूमि उपलब्ध नहीं है, इसके लिए राजस्व भूमि अनुपलब्धता प्रमाण पत्र सलग किया गया है।

अतः त्रुटि सुधार कर वन संरक्षण अधिनियम 1980 अंतर्गत व्यपवर्तन प्रस्ताव (1 से 44 खंडीका) तैयार कर आवश्यक कार्यवाही हेतु सलग प्रेषित हैं।

धन्यवाद



शाखा प्रबंधक
शाखा प्रबंधक
शाखा कार्यालय इंदौर
भारतीय जीवन बीमा निगम
इन्दौर (उ.प्र.)

न्यायालय कलेक्टर, दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा (छ.ग.)

राजस्व भूमि अनुपलब्धता प्रमाण पत्र

क्रमांक 7579/रीडर/2021

दन्तेवाड़ा दिनांक 15/12/2021

प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक संस्थान भारतीय जीवन बीमा निगम शाखा दन्तेवाड़ा द्वारा दन्तेवाड़ा में शाखा कार्यालय भवन एवं अधिकारी/कर्मचारी आवास निर्माण हेतु कक्ष क्रमांक पी-1373 में रकबा 0.262 हे. वन भूमि को चयनित किया गया है। वन भूमि को गैर वानिकी उपयोग हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत व्यपवर्तन हेतु प्रेषित किया गया है।

भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा चयनित भूमि कक्ष क्रमांक पी-1373 रकबा 0.262 हेक्टेयर भवन निर्माण हेतु उपयुक्त है जो जिला मुख्यालय दन्तेवाड़ा के समीप स्थित है। दन्तेवाड़ा के समीप राजस्व भूमि उपलब्ध नहीं होने के कारण पूर्ण परीक्षण उपरांत राजस्व भूमि अनुपलब्धता प्रमाण पत्र जारी किया जा रहा है।




कलेक्टर
दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा